

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

मु. नं.- 39/22

श्रीमती कल्लीदेवी बनाम राजस्थान सरकार वगैरह

किस्ममुकदमा- वाद पत्र अन्तर्गत धारा 58,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

| <p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजजबनाम..... मु.नं.</p> | <p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p> |
|--|---|
| <p>हुका। अतः प्रतिवादी से 2 भागा 4 का अवाज अपसर बंद किया जा रहा है। पत्रावली वाले पत्र की दिनांक 24.12.24 को पेश हो। बाद पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्र.पत्र के अर्थात् सं. 5 के द्वारा प्रस्तुत पत्रावली प्र.पत्र सहपत्र से वाद पत्र में शामिल कर लिया गया था। जिसे बाद पत्र से हथक करके प्र.पत्र 1.2 में शामिल कर लिया गया है। पत्रावली निरकर करीब पेशी पर पेश हो।</p> | |
| <p>उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</p> <p>24.12.24 पत्रावली पेश हुई। वहील वादी उपस्थित। पत्रावली वाले साक्ष्य वादी दिनांक 23.1.25 को पेश हो।</p> | |
| <p>उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</p> <p>23-1-25 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली को वार-2 अर्थात् दिलवाई गई। उभय पक्ष असुपस्थित है। समक्ष पत्रावली में वादी को वार-2 साक्ष्य वाद पेश करने हेतु निर्देश देने के बावजूद निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। इसलिए पत्रावली आदेश 4 नियम 3 पर (जहां दोनों में से कोई भी पक्ष अज्ञात नहीं होता है) वाद ...पक्ष</p> | |

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

मु. नं.- 39/22

श्रीमती कल्लीदेवी बनाम राजस्थान सरकार वगैरह

किस्ममुकदमा- वाद पत्र अन्तर्गत धारा 58,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजजबनाम..... मु.नं. | नम्बर अहकाम की तारीख |
|-------------|--|----------------------------|
| | <p>का खारिज किया जाता है के तहत प्राप्त प्राप्ति का प्रयोग करते हुए पञ्चायत की कदम टाकरी व अदम पैरवी में खारिज की गयी है। फाकली फैसल शुभार होकर साखिल स्वर है।</p> | |

मण्डावर
(अति) फाकली